

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रस्तावित पाठों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगारा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान ग्रामीण सेवा शिविर सादडी

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सादडी व भू.अ.नि. सादडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सादडी तहसील रेलमगारा जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्बत् २०११ से २०१६ में खाता संख्या ३६९, ३९७, २३९, ५३४ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>सादडी</u>	<u>३६९</u>	<u>मोहनलाल / नारक भील</u>	<u>मोहनलाल / नारक भील</u>
2.	<u>— 11 —</u>	<u>३९७</u>	<u>— 11 —</u>	<u>— 11 —</u>
3.	<u>— 11 —</u>	<u>२३९</u>	<u>— 11 —</u>	<u>— 11 —</u>
4.	<u>— 11 —</u>	<u>५३४</u>	<u>— 11 —</u>	<u>— 11 —</u>

(5)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगारा
रेलमगारा

दिनांक :- **4 OCT 2025**

क्रमांक :- 203

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, रेलमगारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोहनलाल / नारक भील - सादडी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(5)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगारा
रेलमगारा

Revenue Rajasthan App.